षष्ठम् माला, खंड 1, अंक 3, सोमवार, 28 मार्च, 1977/7 चैत्र, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. I, No. 3, Monday, March 28, 1977/ Chaitra 7, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र / First Session]

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं / Vol. I contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, सोमवार, 28 मार्च, 1977/7 चैत्र, 1899 (शक)

No. 3, *Monday*, *March* 28, 1977/ *Chaitra* 7, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGES
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	1
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण	Address by Vice-President acting as President	1—6
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References .	6—9
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table .	9—12
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re Adjournment Motion . . .	13
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1976–77—विवरण प्रस्तुत	Supplementary Demands for Grants (General), 1976-77—Statement presented . .	13—14
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1976–77—विवरण प्रस्तुत	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1976-77—Statement presented	14
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिल नाडु), 1976–77—विवरण प्रस्तुत	Supplementary Demands for Grants (Tamil Nadu), 1976-77—Statement presented .	14
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैण्ड) 1976–77—विवरण प्रस्तुत	Supplementary Demands for Grants (Nagaland), 1976-77—Statement presented .	15
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) 1976–77—विवरण प्रस्तुत	Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1976-77—Statement presentted.	15
रेल बजट, 1977-78	Railway Budget, 1977-78 . .	15—22
सामान्य बजट, 1977-78	General Budget, 1977-78 .	12-23
वित्त विधेयक, 1977	Finance Bill, 1977	24
तमिलनाडु बजट, 1977–78	Tamil Nadu Budget, 1977-78	24—25
नागालैंड बजट, 1977–78	Nagaland Budget, 1977-78	25—26
पांडिचेरी बजट, 1977–78	Pondicherry Budget, 1977-78	26

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 28 मार्च, 1977/7 चैत्र, 1899 (शक)

Monday, March 28, 1977/Chaitra 7, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

MEMBERS SWORN

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी)
श्री श्रीकान्तन नैयर (क्विलोन)
श्री नरेन्द्र सिंह यादवेन्द्र (दमोह)
श्री हेमवती नंदन बहुगुणा (लखनऊ)
श्री राम लाल राही (मिसिरिख)
श्री राम निहार राकेश (चैल)
श्री सरदीश राय (बोलपुर)
श्री गदाधर साहा (बीरभूम)
श्री रामूभाई रावजीभाई पटेल (दादरा तथा नागर हवेली)

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति का अभिभाषण

ADDRESS OF VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT

महासचिव : मैं 28 मार्च, 1977 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति का भाषण

Address of Vice-President Acting as President

Hononrable Members, I extend my felicitations to the members of the new Lok Sabha and welcome you all to the joint session of the Sixth Parliament.

On this occasion when we miss his benign and familiar presence my thoughts go to our late President Shri Fakhruddin Ali Ahmed in whom we have lost an

elder statesman, a wise counsellor, an experienced leader, and a perfect gentleman. We mourn his loss today and convey our sincere and heartfelt condolences to Begum Abida Ahmed.

The General Election just concluded has effectively and decisively demonstrated the power of the people, the vitality of the democratic process in India and the deep root that it has taken. The people have given a clear verdict in favour of individual freedom, democracy and the rule of law and against executive arbitrariness, the emergence of a personality cult and extra-constitutional centres of power. The election marks an important milestone in the evolution of our democratic polity into a healthy two-party system.

My Government pledges itself to fulfil in every way the mandate given to it by the people. In doing so, it will not take the people for granted or assume that they know nothing and that the Government alone knows all answers and solutions. The traumatic experience of the last two years during which many atrocities were committed on the people and they had to undergo untold sufferings and some have even died, has brought home the relevance of this.

Honourable Members, the new Government has taken charge only three days ago. It has not had the time to work out the details of the various measures it intends to adopt. This will be done in due course during the year and placed before you. Nevertheless, there are some urgent tasks to be attended to and the Government will take them in hand immediately.

The most urgent task is to remove the remaining curbs on the fundamental freedoms and civil rights of the people, to restore the rule of law and the right of free expression to the Press. The external emergency proclaimed in 1971 has been revoked by me yesterday. The Government will also take the following measures:

(i) Having regard to the gross abuse to which the Maintenance of Internal Security Act has been put during the last two years, a thorough review of the Act will be undertaken with a view to repealing it and examining whether the existing laws need further strengthening to deal with economic offences and security of the country without denying the right of approach to courts.

(ii) Legislation will be introduced to ensure that no political or social organisation is banned except on adequate grounds and after an independent judicial enquiry.

(iii) The Prevention of Publication of Objectionable Matters Act will be repealed. Immunity which the Press enjoyed in reporting the proceedings of legislatures will be restored.

(iv) The amendment to the Representation of Peoples Act which redefined corrupt practices and afforded protection to electoral offences by certain individuals by placing them beyond the scrutiny of the courts, will be repealed.

During the course of the year, a comprehensive measure will be placed before you to amend the Constitution, to restore the balance between th people and Parliament, Parliament and the Judiciary, the Judiciary and the Executive, the States and the Centre, the citizen and the Government, that the founding fathers of our Constitution had worked out. This will include provisions to amend Article 352 to prevent the abuse of the power to declare emergency and of the

relevant Articles to ensure that President's Rule is imposed strictly in accordance with the objectives mentioned in the Constitution and not for extraneous purposes.

One of the very serious developments in the recent past was the erosion of the freedom and impartiality of the media of publicity and information. My Government will take steps to restore to the media their due place in a democracy. Steps will also be taken to ensure that All India Radio, Doordarshan, Films Division and other Government media function in a fair and objective manner.

Nothing has roused public anger and resentment so much as the manner in which the family planning programme was implemented last year in several parts of the country. This has caused a major set back to the programme which is vital for the welfare of the nation. Family planning will be pursued vigorously as a wholly voluntary programme and as an integral part of a comprehensive policy covering education, health, maternity and child-care, family welfare, women's rights and nutrition.

In the economic sphere, the Government is pledged to the removal of destitution within a definite time-frame of 10 years. Relative neglect of the rural sector has created a dangerous imbalance in the economy leading to migration of people from rural areas to urban centres. The farmer has been denied reasonable and fair price for his products. Allocations for agriculture and related developments have been grossly inadequate and the need to improve conditions in the villages has received scarce attention. More than a lakh of villages do not even have the most elementary facilities for drinking water. My Government will follow an employment-oriented strategy in which primacy will be given to the development of agriculture, agro-industries, small and cottage industries especially in rural areas. High priority will also be given to the provisions of minimum needs in rural areas and to integrated rural development. To the extent possible at this point of time, the Fifth Five Year Plan will be reviewed. The planning process will be revitalised and work on the Sixth. Five Year Plan will be taken up without delay. My Government will announce at the time of the presentation of the final budget later this year the details of the economic programme that is proposed to be followed.

I now come to external relations. My Government will honour all the commitments made by the previous Government. It stands for friendship with all our neighbours and other nations of the world on the basis of equality and reciprocity and will follow a path of genuine non-alignment. I am glad to say that my Government will be hosting a meeting of the Non-aligned Co-ordinating Bureau early next month. My Government will also give very special attention to the strengthening of ties and economic and technical co-operation with all developing nations.

Honourable members, your present session will be a short one in which you will have to attend to urgent financial business—the Supplementary Demands of the Union and the States under President's Rule, and the Vote on Account regarding the General Budget, the Railway Budget and the budgets of States under President's Rule. A heavy and busy schedule lies ahead of you in the coming months. There is today a mood of expectancy in the country and I trust that you will co-operate fully in attending to the business that will be placed before you by Government, with thoroughness and expedition. I commend you to your tasks and wish you all success.

Jai Hind.

माननीय सदस्यगण, मैं नई लोक सभा के सदस्यों को बधाई देता हूं और छठी संसद् के संयुक्त अधिवेशन में आप सबका स्वागत करता हूं।

इस अवसर पर जब हम एक सौम्य और परिचित चेहरा नहीं देखते तो मेरे विचार हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फखरूद्दीन अली अहमद की ओर जाते हैं, जो एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विवेकपूर्ण सलाहकार, अनुभवी अगुवा तथा सज्जन पुरुष थे। आज हम उनके निधन पर शोक प्रकट करते हैं और बेगम आबिदा अहमद को अपनी हार्दिक संवेदनायें देते हैं।

अभी जो आम चुनाव हुआ है उससे प्रभावपूर्ण तथा निर्णायक ढंग से यह सिद्ध हो गया है कि जनता को अपनी ताकत, लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया की जीवन-शक्ति, जिसकी जड़ जमी है, पर कितना भरोसा है। जनता ने प्रशासक के मनमानेपन तथा व्यक्ति-पूजा के अभ्युदय तथा गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रों के विरुद्ध वैयक्तिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा विधि-नियम के पक्ष में अपना स्पष्ट निर्णय दिया है। यह चुनाव हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की एक स्वस्थ दो-दलीय प्रणाली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील-पत्थर है।

मेरी सरकार जनता द्वारा दिए गए निर्णय को हर तरह से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा करने में यह मान कर नहीं चला जाएगा कि जनता कुछ नहीं जानती और सरकार ही सभी उत्तर और हल जानती है। पिछले दो वर्षों में लोगों पर कई अत्याचार किए गए तथा उन्हें असीम कष्ट झेलने पड़े, और कई लोगों की तो जानें भी गईं। इस दुःखद अनुभव के कारण यह बात कहनी पड़ी।

माननीय सदस्यगण, नई सरकार ने तीन दिन पहले कार्यभार सम्भाला है। अभी जो ये कई उपाय करना चाहती है उनकी विस्तृत योजना बनाने का अभी समय नहीं मिला है। ये उपाय इस वर्ष यथासमय किए जाएंगे और आपके सामने पेश किए जाएंगे। पर, फिर भी, कई कामों पर तत्काल ध्यान देना है और सरकार इन्हें तुरन्त अपने हाथ में लेगी।

सबसे पहला काम है जनता की मौलिक स्वतंत्रताओं और नागरिक अधिकारों पर रोक हटाना, जिससे विधि-नियम तथा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार फिर से स्थापित हो। 1971 में जिस बाह्य आपातकाल की घोषणा की गई थी उसे मेरे द्वारा कल रद्द कर दिया गया है। सरकार निम्नलिखित कदम उठाएगी—

(i) पिछले दो सालों में आंतरिक सुरक्षा कानून का जो घोर दुरुपयोग हुआ, उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी, जिससे इसे रद्द किया जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि न्यायालयों में जाने के अधिकार को बरकरार रखते हुए देश की सुरक्षा तथा आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान कानून को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है या नहीं।

(ii) इस आशय का कानून बनाया जाएगा जिससे यह सुनिश्चय हो सके कि कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक संगठन पर पाबन्दी न लगाई जाए, जब तक पर्याप्त आधार न हो और इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच न की जा चुकी हो।

(iii) आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक सम्बन्धी अधिनियम को रद्द किया जाएगा। विधायिकाओं की कार्यवाहियों को छापने के प्रेस का अधिकार फिर से लौटाया जाएगा।

(iv) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन में भ्रष्ट आचरणों की जो व्याख्या की गई है तथा जिन कुछ व्यक्तियों के चुनाव अपराध को न्यायालयों की संवीक्षा से बाहर रखकर संरक्षण दिया गया है, उन्हें रद्द किया जाएगा।

इस वर्ष के दौरान, जनता तथा संसद्, संसद् तथा न्यायपालिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका, राज्य तथा केन्द्र, नागरिक तथा सरकार में संतुलन फिर से लाने के लिए, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी, संविधान में संशोधन करने की एक व्यापक योजना आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसके अन्तर्गत अनुच्छेद 352 (तीन सौ बावन) के प्रावधानों का संशोधन शामिल है, जिनसे आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार तथा सम्बद्ध अनुच्छेदों के दुरुपयोग पर रोक रखी जा सके, जिससे कि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि राष्ट्रपति शासन संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार ही लागू हो, न कि किन्हीं बाहरी उद्देश्यों मे।

पिछले कुछ समय से एक जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है वह यह है कि सूचना तथा जन संपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता खत्म हो गई है। मेरी सरकार ऐसे उपाय करेगी जिन से इन माध्यमों को लोकतंत्र में उचित स्थान दिया जा सके। ऐसे उपाय भी किए जायेंगे जिनसे यह सुनिश्चय हो सके कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म-प्रभाग तथा अन्य सरकारी माध्यम उचित तथा निष्पक्ष तरीके से काम करें।

पिछले साल इस देश के कई इलाकों में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जिस प्रकार से चलाया गया उससे जनता में जितना आक्रोश देखा गया वह पहले कभी नहीं देखा गया। इससे इस कार्यक्रम को, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, भारी नुकसान पहुंचा। परिवार नियोजन एक ऐच्छिक कार्यक्रम तथा एक व्यापक नीति के अभिन्न अंग के रूप में जोरदार ढंग से चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ-केन्द्र और बाल कल्याण, परिवार-कल्याण, महिला-अधिकार तथा पौष्टिक आहार शामिल हैं।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार 10 वर्षों की अवधि में गरीबी हटाने के लिए वचनबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षाकृत उपेक्षा से अर्थव्यवस्था में एक भयानक असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिससे लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे हैं। किसानों को अपने उत्पादन का उचित दाम नहीं मिला है। कृषि तथा सम्बद्ध विकासों के लिए विनियोजन बहुत ही अपर्याप्त है और गांवों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान दिया गया। एक लाख से ज्यादा गांवों में पीने के पानी जैसी प्राथमिक सुविधा भी नहीं है। मेरी सरकार रोजगार उन्मुख नीति अपनाएगी, जिसमें कृषि विकास, कृषि उद्योग, छोटे और कुटीर उद्योगों को, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रावधानों तथा समग्र ग्रामीण विकास को भी ऊंची प्राथमिकता दी जाएगी। पंचवर्षीय योजना की यथासंभव समीक्षा की जाएगी। योजना की प्रक्रिया में फिर से प्राण संचार किया जायेगा और छठी पंचवर्षीय योजना पर अविलंब काम शुरू होगा। इस साल बाद में अन्तिम बजट पेश करते समय उन आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी जिन्हें चलाने का प्रस्ताव है।

अब मैं वैदेशिक संबन्धों पर आता हूं। मेरी सरकार उन सभी वायदों को निभाएगी जो पिछली सरकार कर चुकी है। यह समानता और परस्पर सद्भाव के आधार पर सभी पड़ोसी तथा विश्व के अन्य देशों के साथ मैत्री भाव रखेगी और गुटनिरपेक्षता की सही नीति अपनाएगी। मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि मेरी सरकार अगले महीने के प्रारम्भ में गुटनिरपेक्ष समन्वयात्मक ब्यूरो की बैठक की मेजबानी करेगी। मेरी सरकार सभी विकासशील राष्ट्रों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग तथा सम्बन्धों को भी मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगी।

माननीय सदस्यगण, आपका वर्तमान अधिवेशन छोटा होगा, जिस में वित्तीय मामलों-- संघ की पूरक मांगों, राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत राज्यों, और आम बजट के सम्बन्ध में वोट आन अकाउन्ट, रेल बजट तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के बजट--पर तत्काल ध्यान देना होगा। आगामी महीनों में आपके सामने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। आज राष्ट्र को आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है और मेरा विश्वास है कि आप उन कार्यों को, जो आपके सामने सरकार द्वारा पेश किए जाएंगे, लगन और तत्परता से पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। मैं इन कार्यों की ओर आपका आह्वान करता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री नरसिंह मल्ला देव, श्री पी० आर० कणवड़े पाटिल, श्री नाना रामचन्द्र पाटिल, श्री शिव नारायण फोतदार, श्री आर० एम० हजरनवीस, श्री अजित प्रसाद जैन, श्री नेमी शरण जैन, श्री सी० चित्तिबाबू, श्री ई० वी० के० सम्पत, श्री यू० एन० ढेंबर, श्री टी० एच० गावीत तथा श्री ए० के० गोपालन के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री नरसिंह मल्ला देव वर्ष 1957-62 के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के सदस्य चुने गए थे। इससे पूर्व वर्ष 1952-57 के दौरान वह पश्चिम बंगाल की विधान परिषद के सदस्य थे। वह परोपकारी तथा समाजसेवी व्यक्ति थे तथा उन्होंने झाड़ग्राम में विद्यालयों, महाविद्यालयों, पालिटेक्नीक, अस्पताल तथा विधवाओं के लिए हस्तशिल्प केन्द्र की स्थापना की। वह आजीवन इन संस्थाओं की देखभाल करते रहे। वह अत्यन्त योग्य व्यक्ति तथा खेलों के शौकीन थे तथा कई क्लबों एवं खेल संस्थाओं से सम्बन्धित थे। उनका निधन 70 वर्ष की आयु में 11 नवम्बर, 1976 को कलकत्ता में हो गया।

श्री पी० आर० कणवड़े पाटिल वर्ष 1952-57 के दौरान तत्कालीन बम्बई राज्य के उत्तरी अहमदनगर से पहली लोक सभा के सदस्य रहे। प्रख्यात समाजसेवी होने के नाते उन्होंने अहमदनगर जिले में अस्पृश्यता निवारण एवं शिक्षा प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनका निधन 74 वर्ष की अवस्था में 28 नवम्बर, 1976 को अहमदनगर में हुआ।

श्री नाना रामचन्द्र पाटिल वर्ष 1957–62 तथा 1967–70 के दौरान क्रमशः दूसरी तथा चौथी लोक सभा के सदस्य रहे । चौथी लोक सभा के दौरान वह महाराष्ट्र के भिड़ निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे । श्री पाटिल स्वतन्त्रता संघर्ष में गहन रुचि लेते रहे तथा विदेशी शासन के विरुद्ध अपने राज्य में कई क्रान्तिकारी गतिविधियों को संगठित किया । उन्होंने निर्धनों की सेवा में अपना अधिकांश समय समर्पित किया तथा ग्रामवासियों के बीच प्रिय रहे । उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 6 दिसम्बर, 1976 को मीरज में हो गया ।

श्री शिव नारायण फोतेदार वर्ष 1952–57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य रहे । वर्ष 1929 में उन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन इतिहास के प्रोफेसर के रूप में शुरू किया । वर्ष 1931 में वह राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े । वर्ष 1933 में वह श्रीनगर नगर निगम के सदस्य चुने गए और बाद में इसके उपाध्यक्ष व अध्यक्ष बने । वर्ष 1935 में वह 'आल स्टेट कश्मीरी पंडित कान्फ्रेन्स' के अध्यक्ष चुने गए । वह एक महान संसद्-शास्त्री थे । वर्ष 1934 में वह कश्मीर राज्य विधान सभा के सदस्य चुने गए और 13 वर्ष उस सभा के सदस्य रहे । प्रथम लोक सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने सदन की कार्यवाही में गहन रुचि ली तथा कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे । वह वर्ष 1954 में तुर्की तथा मध्य पूर्व के देशों को गए संसदीय शिष्टमण्डल के सदस्य भी थे । वर्ष 1957 में वह फिर राज्य विधान सभा के लिए चुने गए और कश्मीर विधान परिषद् के सभापति चुने गए । उन्होंने भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के कई सम्मेलनों में भाग लिया । उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 6 दिसम्बर, 1976 को हो गया ।

श्री आर० एम० हजरनवीस वर्ष 1957–70 के दौरान दूसरी, तीसरी तथा चौथी लोक सभा के सदस्य रहे । चौथी लोक सभा में वह महाराष्ट्र के चिमूर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे । अपना व्यवसाय उन्होंने वकील के रूप में शुरू किया और इस क्षेत्र में काफी ख्याति अर्जित की । वर्ष 1958–63 के दौरान वह केन्द्र सरकार में उप मंत्री तथा वर्ष 1963–66 के दौरान राज्य मंत्री रहे । उनका निधन 68 वर्ष की आयु में 27 दिसम्बर, 1976 को नागपुर में हो गया ।

श्री अजित प्रसाद जैन वर्ष 1946–65 के दौरान संविधान सभा, अस्थायी संसद्, पहली, दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे । वह वर्ष 1950–54 के दौरान केन्द्रीय सरकार में पुनर्वास मंत्री तथा वर्ष 1954–59 के दौरान खाद्य तथा कृषि मंत्री रहे । वर्ष 1965–66 में वह केरल के राज्यपाल रहे और बाद में 1968–74 में राज्य सभा के सदस्य रहे । इससे पूर्व 1937–47 में वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे । वह विख्यात राजनीतिज्ञ, अनुभवी संसद् शास्त्री तथा कुशल प्रशासक थे । कई क्षेत्रों में उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया । उनका निधन, 75 वर्ष की आयु में 2 जनवरी, 1977 को नई दिल्ली में हुआ ।

श्री नेमी शरण जैन वर्ष 1950–57 के दौरान अस्थायी संसद् तथा पहली लोक सभा के सदस्य रहे । पहली लोक सभा के लिए वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे । उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा वर्ष 1922–24 के दौरान कई

बार जेल गए । वर्ष 1924–30 के दौरान वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे । वह एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में काफी रुचि लेते रहे । वह कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्धित थे । उनका निधन 78 वर्ष की अवस्था में 3 जनवरी, 1977 को नई दिल्ली मैं हुआ ।

श्री सी० चित्तिबाबू वर्ष 1967–77 के दौरान तमिलनाडू की चिंगलपुट निर्वाचन क्षेत्र से चौथी तथा पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन पत्रकार के रूप में शुरू किया और प्रारम्भ में वह मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिका 'होम रूल' के सम्पादक बने । वर्ष 1965–66 में वह मद्रास के महापौर रहे । इनका निधन केवल 41 वर्ष की अवस्था में 5 जनवरी, 1977 को मद्रास के जनरल अस्पताल मैं हुआ ।

श्री एन० वी० के० सम्पत्त वर्ष 1957–62 के दौरान तत्कालीन मद्रास राज्य के नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे । वह एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे तथा उन्होंने अधिकांश समय जाति प्रथा के उन्मूलन पर लगाया । उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गहन रुचि ली तथा कई शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्धित रहे । उनका निधन 51 वर्ष की आयु में 23 फरवरी, 1977 मैं हुआ ।

श्री यू० एन० ढेवर वर्ष 1962–63 के दौरान गुजरात राज्य के राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे । वह एक विख्यात वकील तथा निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे । उन्होंने कई पदों पर रहकर देश की सेवा की । वह वर्ष 1948 में रियासतों के एकीकरण के बाद बने आधुनिक सौराष्ट्र के मुख्य निर्माता थे । वर्ष 1948–54 के दौरान वह सौराष्ट्र की भूतपूर्व रियासत के मुख्य मंत्री रहे । इस अवधि में उन्होंने कई प्रगतिशील भूमि सुधार कानून पेश किए । वर्ष 1960–61 के दौरान वह अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे । वह अपने राज्य की कई शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्धित थे । श्री ढेबर का निधन 72 वर्ष की आयु में 11 मार्च, 1977 को राजकोट में हुआ ।

श्री टी० एच० गावीत वर्ष 1967–77 के दौरान महाराष्ट्र के नानदुरबार निर्वाचन क्षेत्र से चौथी तथा पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे । इससे पूर्व वह वर्ष 1952–57 के दौरान तत्कालीन बम्बई विधान सभा के सदस्य थे । वह एक अनुभवी संसद् शास्त्री थे तथा संसद् की कार्यवाही में गहन रूचि लेते थे । वह कई संसदीय समितियों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं के सदस्य रहे । एक समाजसेवी के नाते उन्होंने पिछड़े वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया । उनका निधन 54 वर्ष की अवस्था में 18 मार्च, 1977 को नई दिल्ली में हुआ ।

श्री ए० के० गोपालन वर्ष 1952–77 के दौरान पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे । पांचवीं लोक सभा में उन्होंने केरल के पालघाट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा मार्क्सवादी दल के नेता रहे । उन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन अध्यापक के रूप में प्रारम्भ किया । वर्ष 1927 में वह राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े और मालाबार क्षेत्र में हुए स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया । बाद में उन्होंने केरल साम्यवादी दल की स्थापना की । वह एक सच्चे तथा समर्पित कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने कभी भी पद की कामना नहीं की । वस्तुत: निस्वार्थ काम क रके

ही वह जनप्रिय राष्ट्रीय नेता बने । केरल में मजदूर संघों एवं किसान ग्रान्दोलनों के प्रति अपने ग्राप को समर्पित करके उन्होंने शोषित तथा दलित वर्गों की चेतना को जगाया । राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण वह कई बार जेल गए तथा ब्रिटिश शासन के दौरान पांच वर्ष तक भूमिगत रहे । उन्होंने गुरवयूर-केरल में मन्दिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा कन्नानूर से मद्रास तक की 750 मील की दूरी पैदल चल कर भूखे प्यासे पूरी की । वह एक कुशल संसद् शास्त्री तथा सशक्त वक्ता थे । सदन की कार्यवाही में वह गहन रुचि लेते थे । वह हमेशा किसानों, भूमिहीन मजदूरों तथा ग्राम ग्रादमी के हितों के लिए लड़ते रहे । उन्होंने विविध विषयों पर पुस्तकें लिखीं । उनका निधन 72 वर्ष की ग्रायु में 22 मार्च, 1977 को त्रिवेन्द्रम में हुग्रा । उनके निधन से देश ने एक महान देशभक्त खो दिया है ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं ग्रौर संतप्त परिवारों को हम ग्रपनी संवेदनाएं भेजते है ।

सदस्य ग्रपना शोक व्यक्त करने के लिये थोड़ी देर मौन खड़े हों ।

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

ग्रध्यक्ष महोदय : श्री शान्ति भूषण ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Before the papers are laid on the Table of House I would like to draw the attention of the Law Minister Article 123(2)(B) which reads as under:

> 'An Ordinance promulgated under this Article shall have the same force and effect as an Act of Parliament, but every such Ordinance may be withdrawn at any time by President.'

May I request the hon. Minister to have these Ordinances withdrawn? There are highly objectionable and anti-democratic.

ग्रध्यक्ष महोदय' सामान्यतया जब सभा पटल पर पत्र रखे जाते हैं तो किसी प्रकार की चर्चा की ग्रनुमति नहीं दी जाती । ये पत्र केवल सभा पटल पर ही रखे जा रहे हैं । सरकार उन पर कार्यवाही कर भी सकती है ग्रौर नहीं भी कर सकती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड-हार्बर) : क्या ग्राप इस समय चर्चा की ग्रनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा नहीं की जायेगी । सामान्यतया जब पत्र सभा पटल पर रखे जाते हैं तो उन पर कोई चर्चा नहीं की जाती । मेरे विचार मे श्री कृष्ण कान्त भी यही प्रश्न उठाना चाहते हैं । यदि हम इस प्रकार चर्चा शुरू करते हैं तो इसका कोई अन्त नहीं होगा । हमे बहुत महत्वपूर्ण कार्य निपटाना है । सभा पटल पर पत्रों का रखा जाना एक आम प्रक्रिया है । बाद मे सरकार इन अध्यादेशों पर कार्यवाही कर सकती है और नहीं भी कर सकती । यह आवश्यक नहीं कि सरकार इन पर कार्यवाही करे । मंत्री जी को अब इन पत्रों को सभा पटल पर रखने दिया जाये । बाद मे वह यह बात स्पष्ट करें कि क्या वह इन पर कार्यवाही करेंगे या नहीं । अतः मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय कोई बात न उठायें । मैं केवल श्री कृष्ण कान्त को बोलने की अनुमति देता हूं । क्योंकि उन्होंने मुझे अग्रिम सूचना दी थी ।

श्री कृष्ण कान्त (चंडीगढ़) : मंत्री द्वारा इन पत्रों के सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण मे जो कुछ कहा है और गत चुनावों मे हमने जो इस बारे मे बचन दिये हैं कि प्रधान मंत्री, अध्यक्ष और लोक सभा के अन्य सदस्यों के मामलों मे समानता बरती जायेगी, इन सब बातों को ध्यान मे रखते हुए क्या वह इस अध्यादेश को व्यपगत होने देंगे ? या इसे पहले ही वापस ले लेना बहुत बहतर होगा ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : ये अध्यादेश अनुच्छेद 123 के उपबन्धों के अधीन सभा पटल पर रखे जा रहे हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार इन्हें अधिनियमों में बदलने या इस सम्बन्ध में विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार रखती है । सरकार का विचार समय आने पर स्पष्ट कर दिया जायेगा । जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, सरकार का विचार मौटे तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण मे बताया गया है ।

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पूर्वी पंजाब नगरीय किराया प्रतिबन्ध (चण्डीगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 14) जो राष्ट्रपति द्वारा 17 दिसम्बर, 1976 को प्रख्यापित किया गया था ।

(2) कालटैक्स [कालटैक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड तथा कालटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड के भारत मे उपक्रमों के शेयरों का अर्जन] अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 15) जो राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 1976 को प्रख्यापित किया गया था ।

(3) खाद्य निगम, (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 16) जो राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1976 को प्रख्यापित किया गया था ।

(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 1) जो राष्ट्रपति द्वारा 2 फरवरी, 1977 को प्रख्यापित किया गयाा था ।

(5) पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि मे उपभोक्ता के अधिकार का अर्जन) संशोधन अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 2) जो राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी, 1977 को प्रख्यापित किया गया था ।

(6) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 3) जो राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी, 1977 को प्रख्यापित किया गया था ।

(7) विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 4) जो राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी, 1977 को प्रख्यापित किया गया था ।

(8) संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 5) जो राष्ट्रपति द्वारा 7 फरवरी, 1977 को प्रख्यापित किया गया था ।

(9) दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1977 का संख्या 6) जो राष्ट्रपति द्वारा 7 फरवरी, 1977 को प्रख्यापित किया गया था । [ग्रन्थालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2/77]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हारबर) : महोदय, 'सदस्यों की निर्देशिका' में स्पष्ट उल्लेख है कि जब सभा पटल पर पत्र रखे जायें तो सदस्यों को आगे और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है । दुर्भाग्य से आपके पद से हटने के बाद यह उपबंध वापिस ले लिया गया । क्या अब वह परम्परा पुनः शुरू की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) :चौधरी चरण सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

आन्तरिक आपात के निरसन संबंधी उद्घोषणायें, भारत की रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और भारत की रक्षा और आन्तीरक सुरक्षा अधिनियम, 1971 तथा एक विवरण और संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का आदेश ।

(1) संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्घोषणाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक

प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 21 मार्च, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा दिनांक 21 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 117 (ङ) में प्रकाशित, 25 जून, 1975 को जारी की गई आपात-स्थिति की उद्घोषणा का निरसन किया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3/77]

(दो) संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के रूप मे कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 132 (ङ) में प्रकाशित 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गई आपात-स्थिति की उद्घोषणा का निरसन किया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4/77]

(2) भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1977 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 71 (ङ) में प्रकाशित प्रतिकर अधिकरण (संशोधन) आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5/77]

(3) (एक) भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 जून, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 396 (ङ) मे प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6/77]

(4) संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी किये गये दिनांक 5 फरवरी, 1977 के राष्ट्रपति के आदेश की एक प्रति, जिसके द्वारा पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन 28 मार्च, 1977 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि के लिये बढ़ाया गया है और जो दिनांक 9 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 149(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7/77]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE ADJOURNMENT MOTION

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जम्मू और काश्मीर विधान सभा को अलोकतांत्रिक और अवांछनीय ढंग से विघटित किये जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । तथ्यों को पूर्ण रूप से तोड़ा-मरोड़ा गया है । इस पर सभा में तुरंत चर्चा की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना प्राप्त हो गई है । सदस्य महोदय से अनुरोध है कि वह इसे कल उठायें । मैं इस पर आज विचार करूंगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हारबर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दिन इसे कैसे उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना मिल गई है । मैं चाहता हूं कि लेखानुदान पहले स्वीकृत कर लिया जाये । कल में इस विषय पर अपना निर्णय दूंगा ।

Shri Mohamad Shafi Quereshi (Anantnag): Mr. Speaker, Sir, you may take up the Notice, but a statement should be made either by the Prime Minister or by the Home Minister. You should give an assurance in this regard. The Janta Party has butchered Democracy in the State. (*Interruption . . .*)

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली सदर) : महोदय, क्या माननीय सदस्य त्यागपत्र देकर फिर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं ? (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : डा० कर्ण सिंह ने अभी अभी जो मामला उठाया है, उस बारे में मैंने एक औचित्य का एक प्रश्न उठाया है । जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू की जाने की बात प्रेस को तो बता दी गई है परन्तु सभा में उसकी घोषणा नहीं की गई है । राष्ट्रपति के अभिभाषण मे भी उसका उल्लेख नहीं है । अतः आप ही निर्णय करें कि मेरा प्रश्न क्या विशेषाधिकार के अन्तर्गत आता है अथवा औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर कल विचार होगा । अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1976-77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1976-77

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): मैं 1976-77 के लिए बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और मैं नियम 376 का हवाला देना चाहता हूं । यह संवैधानिक रूप से स्वीकृत कानूनी व्यवस्था है कि गणपूर्ति के अभाव में सभा में कोई मामला नहीं उठाया जा सकता । इस समय सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न भी उस मामले पर उठाया जा सकता है जिस पर सभा में चर्चा हो रही हो । पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामथ : सभा में गणपूर्ति के बिना सभा की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती । (**व्यवधान**)

मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या विधि मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे ?

श्री शान्ति भूषण : गणपूर्ति के बारे में संविधान के 42वें संशोधन के पूर्व की स्थिति विद्यमान है क्योंकि इस बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकारी मुद्रणालय, अलीपुर (कलकत्ता) में मतपत्र अधिक संख्या में छापे गये हैं और वहां चुनाव में गड़बड़ी हुई है । क्या दोहरे नम्बर वाले मतपत्रों के बारे में जांच करायी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि मंत्री इस बारे में सभा को जानकारी देंगे तथा मामले की जांच करवायेंगे ?

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल), 1976–77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1976-77

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते) : मैं 1976–77 के लिए बजट (रेल) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु), 1976–77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (TAMIL NADU), 1976-77

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं वर्ष 1976–77 के लिए तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध नें अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैंड), 1976–77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND), 1976-77

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1976–77

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY), 1976-77

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं वर्ष 1976–77 के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

रेल बजट, 1977–78

RAILWAY BUDGET, 1977-78

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते): मैं सदन के समक्ष भारत सरकार की रेलों का वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात् 1977–78 की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का व्यौरा प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । ये अनुमान अगले पूरे वित्तीय वर्ष के लिए हैं लेकिन अब चूंकि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 1977–78 की मांगों पर बहस के लिए बहुत कम समय रह गया है, इसलिए फिलहाल मैं 1977–78 के पहले चार महीनों के अनुमानित खर्च के लिए सदन से केवल लेखानुदान की अनुमति चाहता हूं । शेष वर्ष में अपेक्षित राशि के लिए बाद मे अलग से स्वीकृति ली जायेगी ।

1975–76 के वित्तीय परिणाम

2. सबसे पहले मैं पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1975–76 के परिचालन परिणामों की चर्चा करूंगा । बजट तैयार करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि 23.03 करोड़ रुपये की बचत होगी क्योंकि आशा यह थी कि पिछले वर्ष यातायात में जो वृद्धि का रुख दिखायी पड़ा था, वह 1975–76 में और भी जोर पकड़ेगा । बजट में सम्भावित यातायात की तुलना में 1975–76 म यातायात का वास्तविक रुख और भी अच्छा रहा और यही बात यातायात से प्राप्ति के संशोधित अनुमान में परिलक्षित हुई है । लेकिन यातायात से होने वाली अधिक प्राप्ति की तुलना मे खर्च और भी बढ़ गया क्योंकि बजट स्वीकृत होने के बाद मुख्यत: महंगाई भत्ते की पांच अतिरिक्त किस्तें पिछली तारीखों से देने के कारण 152.36 करोड़ रुपये का दायित्व आ पड़ा । अत: 1975–76 में परिणाम यह हुआ कि संशोधित अनुमान के अन्तर्गत 62.81 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि मूल बजट में 23.03 करोड़ रुपये की बचत की प्रत्याशा की गयी थी । 1975–76 के अन्तिम लेखों के अनुसार 61.11 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है अर्थात् संशोधित अनुमान की तुलना में घाटा लगभग 1.70 करोड़ रुपये कम रहा है ।

[श्री मधु दण्डवते]

संशोधित अनुमान, 1976–77

3. चालू वर्ष 1976–77 के बजट अनुमान में आशा की गयी थी कि कुछ विशिष्ट वस्तुओं की भाड़ा दरों में समायोजन के प्रस्तावों से जो राशि प्राप्त होगी, उसे हिसाब में लेने के बाद 8.98 करोड़ रुपये की बचत होगी। पिछले कई वर्षों की तुलना में चालू वर्ष भारतीय रेलों के लिए परिचालन की दृष्टि से सर्वोत्तम वर्ष रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अप्रैल, 1976 से जनवरी, 1977 के अन्त तक पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में प्रारंभिक राजस्व उपार्जक यातायात के अन्तर्गत 133 लाख मीटरिक टन अधिक माल का लदान हुआ। मूल बजट अनुमान के अनुपात में भी लदान लगभग 70 लाख मीटरिक टन अधिक रहा है। ढुलाई के लिए अधिक से अधिक माल प्राप्त करने के जोरदार प्रयास किये गये और जितना भी माल आया, रेलों ने उसकी ढुलाई की। माल डिब्बों की बकाया मांग भी बहुत कम रह गयी। बिजली घरों, सीमेंट कारखानों और कोयले का इस्तेमाल करने वाले अन्य उद्योगों के पास कोयले का काफी स्टाक बना रहा। लौह अयस्क के निर्यात की मांग को पूर्णतः पूरा किया गया। वर्ष के शुरू में मांग की कमी के कारण ईंट पकाने के कोयले और लकड़ी के कोयले की ढुलाई में कमी हुई थी, लेकिन दिसम्बर से इसमें फिर से काफी वृद्धि होने लगी है। राजस्व उपार्जक और गैर-राजस्व दोनों तरह के यातायात को मिलाकर कुल प्रारम्भिक लदान 2300 लाख मीटरिक टन से भी अधिक होने की सम्भावना है जो कि अब तक का सर्वोच्च रिकार्ड होगा।

4. चालू वर्ष में यात्री यातायात म वृद्धि सचमुच असाधारण रही है। अप्रैल से दिसम्बर 1975 तक उपनगरीय यातायात में 11830 लाख और अनुपनगरीय यातायात में 9150 लाख प्रारम्भिक यात्रियों ने यात्रा की थी जबकि इस वर्ष इसी अवधि में उपनगरीय और अनुपनगरीय यात्रियों की संख्या क्रमशः 13050 लाख और 11370 लाख रही, अर्थात् उपनगरीय यातायात में 10 प्रतिशत और अनुपनगरीय यातायात में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि बिना टिकट यात्रा की रोकथाम और गाड़ियों के परिचालन में समग्र सुधार का मिला-जुला परिणाम है। अप्रैल से दिसम्बर, 1976 तक की अवधि में 96 नयी अनुपनगरीय गाड़ियां चलायी गयीं और 5 गाड़ियों की आमद-रफ्त बढ़ायी गयी। इसके अलावा, 50 जोड़ी अनुपनगरीय गाड़ियों का चालन-क्षेत्र भी बढ़ाया गया। इन उपायों का परिणाम यह हुआ कि प्रति दिन गाड़ी किलोमीटर में 25000 से भी अधिक की वृद्धि हुई। इसका व्यौरा बजट प्रलेखों के साथ प्रसारित पुस्तिका में दिया गया है।

यातायात से कुल प्राप्ति

5. यातायात के रुख के आधार पर 1976–77 के लिए यातायात से कुल प्राप्ति का संशोधित अनुमान 1987.55 करोड़ रुपये, अर्थात् बजट से लगभग 32 करोड़ रुपये अधिक रखा गया है।

संचालन व्यय

6. जहां तक संचालन व्यय का सम्बन्ध है, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बजट की तुलना में अधिक यातायात होने के बावजूद, बेहतर कार्यकुशलता और खर्च पर

कड़े नियंत्रण के परिणामस्वरूप, संशोधित अनुमान के अन्तर्गत बजट अनुमान की तुलना में लगभग 3 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत हुई है। यदि बजट की तुलना में अधिक यातायात होने के कारण, ईंधन, स्नेहक और अन्य सामान की बढ़ी हुई आवश्यकताओं पर अतिरिक्त व्यय करना अपरिहार्य न होता, तो वास्तविक बचत और भी अधिक हुई होती। यद्यपि वर्ष के अन्त में कुल मिलाकर राजस्व सम्बन्धी समस्त मांगों के अन्तर्गत शुद्ध खर्च स्वीकृत बजट की तुलना में कम होने की आशा है, तथापि कुछ मांगों के अन्तर्गत अधिक धन का आबंटन अपेक्षित होगा। अतः जिन मांगों के अन्तर्गत अतिरिक्त खर्च की मंजूरी की आवश्यकता है, उनके लिए मैं सदन के समक्ष अनुदान की पूरक मांगें पेश कर रहा हूं।

7. यह बड़े संतोष की बात है कि चालू वित्त वर्ष के अन्त में रेलों की बजट में प्रत्याशित 8.98 करोड़ रुपये की बजाय अब 35.67 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत की आशा है। जब वर्ष के लेखे अन्तिम रूप से बन्द होंगे, तो संभव है कि बचत के वास्तविक आंकड़े इससे भी अधिक हों।

1976–77 के लिए योजना परिव्यय

8. 1976–77 के लिए रेलों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम पर कुल 417.81 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया था। इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये और निर्यात के आर्डरों के लिए संचालन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते 5 करोड़ रुपये शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जो मांग प्रस्तुत की थी, उससे यह आवंटन, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, कम रहा। लेकिन, इसके बावजूद लाइन क्षमता और नवीकरण सम्बन्धी कार्यों सहित, विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए सावधानीपूर्वक जो योजना बनायी गयी, उसके परिणामस्वरूप, केवल नयी लाइनों के निर्माण को छोड़कर, इस आवंटन के अन्तर्गत ही योजना लक्ष्यों को पूरा करना सम्भव हुआ। नयी लाइनों के निर्माण के मामले में वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन करने का विशेष अनुरोध किया गया था ताकि कुछ परियोजना-मूलक लाइनों का कार्य आगे बढ़ता रहे। इस अतिरिक्त आबंटन की सहमति मिल गयी है और इसे 1976–77 की पूरक मांगों मे शामिल कर लिया गया है। चल-स्टाक के मामले में, मुख्यतः डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा तैयार किये गये चल-स्टाक की कीमतों को अद्यतन बनाने के कारण कुछ वित्तीय समायोजन करने आवश्यक हो गये जिसमें मूल्य का अन्तरण भण्डार सूची से चल स्टाक में किया गया। इसके परिणामस्वरूप मांग 15 के अन्तर्गत कुल खर्च बढ़ गया लेकिन शुद्ध परिव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः मैं सदन से मांग 14 और 15 के अन्तर्गत अतिरिक्त खर्च की स्वीकृति देने का अनुरोध कर रहा हूं। इसका ब्यौरा अनुदान की पूरक मांगों में दिया गया है।

भारत-पाक रेल यातायात को फिर से शुरू करना

9. चालू वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना भारत और पाकिस्तान के बीच रेल यातायात का फिर से शुरु होना है। 14 मई, 1976 को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान

के विदेश सचिवों के हस्ताक्षर से जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, जून, 1976 के अन्त में अटारी बागहा सीमा के आर-पार रेल यातायात फिर से शुरु करने के बारे में ब्यौरा तैयार किया गया। 22 जुलाई, 1976 को, अमृतसर और लाहौर के बीच प्रतिदिन आने जाने वाली एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाकर भारत पाकिस्तान रेल यातायात फिर से शुरु कर दिया गया। लेकिन माल यातायात 3 सितम्बर, 1976 से शुरु हुआ। फरवरी, 1977 के अन्त तक 17,150 से अधिक यात्री भारत से पाकिस्तान गये और 23,000 से अधिक यात्री पाकिस्तान से भारत आये। लगभग 900 माल डिब्बा भार माल यातायात भी भारत से पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन, पाकिस्तान से भारत आने वाला माल यातायात अभी तेजी नहीं पकड़ सका है।

रेल परिचालन में सामान्य सुधार

10. 1977–78 के बजट अनुमानों का उल्लेख करने से पहले यह उचित होगा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जो कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है, रेलों ने सामान्य रूप से जो कार्य किया है, उसकी चर्चा कर ली जाय। रेल परिचालन में विशेष सुधार 1975–76 से शुरु हुआ और चालू वर्ष में इस में और सुदृढ़ता आया है। रेल संचालन में हुए इस अभूतपूर्व सुधार की आम तौर पर प्रशंसा हुई है। मैं संक्षेप में इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा कि रेल संचालन के प्रायः सभी क्षेत्रों में रेले अपनी पहले की सभी उपलब्धियों से बहुत आगे निकल गयी हैं। सीटों के आरक्षण के मामले में, अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा जो कदाचार होता था उसे काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। बड़े बड़े स्टेशनों पर बुकिंग एवं आरक्षण खिड़कियों की संख्या बढ़ा दी गयी है और अब लम्बी लाइने लगना बहुत कम हो गया है। लम्बी दूरी की तेज रफ्तार वाली अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयी है और गाड़ियों में भीड़ बहुत कुछ कम हो गयी है। भीड़ केवल इसी कारण कम नहीं हुई कि अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयी है बल्कि इसका एक कारण यह भी है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगातार नजर रखी गयी है। गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर सफाई की स्थिति सुधरी है। रेलवे खान-पान सेवा में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। 1975 से पहले गाड़ियों का समय-पालन केवल 65 प्रतिशत के आस पास था। इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1975–76 की तुलना में भी समय न गंवाने वाली गाड़ियां का प्रतिशत कम हुआ है और समय-पालन करने वाली गाड़ियों का औसत इस समय 90 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है।

11. यात्री गाड़ियों के समय-पालन में प्रशंसनीय सुधार होने के साथ-साथ, चालू वर्ष में राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली लम्बी दूरी की अत्यधिक तेज रफतार की अनेक मेल और एक्सप्रैस गाड़िया भी चलायी गयी। इन में तमिलनाडू एक्सप्रेस/कर्नाटक केरल एक्सप्रेस, जम्मू तवी बम्बई एक्सप्रेस, और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ अत्यधिक तेज रफतार वाली गाड़ियों के कारण यात्रा का समय बहुत कम हो गया है और सफर अधिक आरामदेह हो गया है। ये गाड़ियां विभिन्न पर्यन्त स्टेशनों पर मौजूदा सुविधाओं में कोई भारी वृद्धि किये बिना चलायी गयी हैं। इनके चालन से माल यातायात में होने वाली वृद्धि पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जोकि देश की अर्थव्यवस्था के विकास और रेलों के सक्षम संचालन के लिये अनिवार्य है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे हमारे कई महत्वपूर्ण पर्यन्त स्टेशन अब अपनी कार्य क्षमता की अधिकतम सीमा पर पहुंच रहे

है, इसलिये हमें बढ़ते हुए यात्री यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिये वहां अतिरिक्त सुविधाओं की योजनाबद्ध व्यवस्था करनी होगी।

रेलवे अभिसमय समिति

12. 18–1–1977 को पांचवी लोक सभा भंग हो जाने के कारण 1977–78 के लिये अभिसमय समिति की सिफारिशें सरकार को उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। फलतः सामान्य राजस्व को देय लाभांश की संगणना, रेलवे अभिसमय समिति 1973 द्वारा वर्ष 1976–77 के लिये की गयी सिफारिशों के आधार पर की गयी है जिनका अनुमोदन संसद द्वारा कर दिया गया था। वर्ष 1977–78 में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग के लिये 140 करोड रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, जबकि 1976–77 में इसके लिये 135 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस रकम में वृद्धि करने के लिये समिति ने रेल मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के दौरान, अपनी पूर्ण स्वीकृति दे दी थी। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में राहत देने के बारे में समिति की पहले की सिफारिशों पर सम्बद्ध मंत्रालयों आदि से परामर्श करना होगा। इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है, ताकि रेलों को जो विभिन्न सामाजिक दायित्व वहन करने होते हैं, उनके लिये वे वांछनीय वित्तीय राहत प्राप्त कर सकें।

13. रेलवे अभिसमय समिति ने वर्ष 1976–77 के लिये की गयी अपनी सिफारिशों में पहले की रियायतें प्रायः जारी रखी हैं। इसके अलावा, समिति ने यह सुझाव भी स्वीकार कर लिया है कि पांचवीं योजना अवधि में कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण की लागत के लिये स्वीकृत राशि जो अब तक विकास निधि में दिखायी जाती थी, पूंजी लेखे में दिखायी जाय। ऐसी पूंजी पर सामान्य राजस्व को देय लाभांश के भुगतान के लिये रेलें केवल तभी जिम्मेदार होंगी जब वे लाभांश संबंधी अपनी अन्य दायिताओं को पूर्ण रूप से वहन कर सकने में समर्थ हों। चूंकि वर्ष 1976–77 और 1977–78 के दौरान रेलों को शुद्ध बचत होने की आशा है अतः रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार पूंजी से किये जाने वाले कर्मचारी क्वाटरों के खर्च से संबंधित लाभांश की दायिता भी सामान्य राजस्व को देय लाभांश में शामिल है।

बजट अनुमान, 1977–78

14. अब मैं 1977–78 के बजट अनुमानों का उल्लेख करना चाहूंगा। किराये और भाड़े की वर्तमान दरों के हिसाब से, इस वर्ष यातायात से कुल प्राप्ति का अनुमान 2091.44 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा लगभग 104 करोड़ रुपये अधिक है। यातायात से प्राप्ति में वृद्धि का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि यात्री यातायात में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी और प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक माल यातायात लगभग 2170 लाख मीटरिक टन होगा।

15. साधारण संचालन व्यय (शुद्ध) का अनुमान 1635.75 करोड़ रुपये लगाया गया है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से यह रकम लगभग $87\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये अधिक है। साधारण संचालन व्यय में जो अधिक व्यवस्था की गयी है, उसमें कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियों और मियाभाय पंचाट के कार्यान्वयन के संबंध में 1977–78 के पूरे वर्ष का व्यय तथा पदों का ग्रेड ऊंचा करने और असंगतियों आदि को दूर करने के फलस्वरूप

होने वाला व्यय शामिल है। इसके साथ ही चालू वर्ष की तुलना में 1977-78 के दौरान जो अधिक यातायात ढोये जाने की संभावना है, उससे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपेक्षित अतिरिक्त ईंधन के लिये की गयी व्यवस्था के अलावा रेल पथ, चल स्टाक और अन्य उपस्करों के अनुरक्षण के लिये भी अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। अलग अलग मांगों के अन्तर्गत की गयी अतिरिक्त व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा अनुदान की मांगों में प्रत्येक मांग के नीचे दिये गये व्याख्यात्मक नोट में दिया गया है।

16. जैसा कि मैंने पहले कहा है, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गयी है। पेंशन निधि में विनियोग भी चालू वर्ष की अपेक्षा 5 करोड़ रुपये अधिक रखा गया है जो इस सम्भावना पर आधारित है कि सेवा निवृत्त पेंशनी रेल कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए निधि से अधिक रकम निकालनी होगी। रेलवे अभिसमय समिति, 1973 की सिफारिशों के आधार पर, 1977-78 में सामान्य राजस्व को देय लाभांश की रकम 225.56 करोड़ रुपये बैठती है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में यह रकम 211.30 करोड़ रुपये है।

वित्तीय परिणाम

17. सदन को प्रस्तुत 1977-78 के बजट में की गयी विभिन्न व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए रेलों को आशा है कि आगामी वर्ष में 26.45 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत होगी। इस समूची रकम को रेलवे विकास निधि में अन्तरित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार हमें आशा है कि सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान करने के बाद इस दूसरे वर्ष भी शुद्ध बचत होगी। इन दो वर्षों में 62 करोड़ रुपये से भी अधिक शुद्ध बचत होने की प्रत्याशा के बावजूद 1977-78 के अन्त में रेलों पर सामान्य राजस्व के ऋण की मात्रा 477.18 करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह ऋण विकास निधि और राजस्व आरक्षित निधि से किये जाने वाले खर्च के लिए अस्थायी ऋणों के रूप में लिया गया है। यहां मैं यह स्मरण दिला दूं कि 1976-77 के बजट में यह बताया गया था कि 31-3-1977 को रेलों पर यह कर्जदारी अनुमानतः 491.50 करोड़ रुपये होगी। संशोधित अनुमानों के अनुसार आशा है कि चालू वर्ष के अन्त में यह देनदारी घटकर 461.99 करोड़ रुपये रह जायेगी। 1977-78 के बजट के अनुसार 31-3-1978 को ऋण की 477.18 करोड़ रुपये की बकाया रकम एक बहुत बड़ा ऋण है। हमारा यह प्रयास होगा कि यदि वस्तुतः यह ऋण घटाया न जा सके तो इसे उचित सीमा के भीतर जरूर रखा जाय।

रेल भाड़ा संरचना जांच समिति

18. रेलों पर भारी कर्ज होने के बावजूद, मैं भाड़े की दरों और किरायों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं ला रहा हूं। भाड़े की वर्तमान संरचना मुख्यतः 1955 में नियुक्त की गई एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर आधारित है। लोक लेखा समिति (1974-75) ने अपनी 148वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि रेलों को दर-सूची युक्तिसंगत बनानी चाहिए। इस सिफारिश पर अमल करने के लिए सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विनिश्चय किया है जो इस सम्बन्ध में समस्याओं का विस्तार से अध्ययन करेगी और उपयुक्त सिफारिशें देगी।

1977–78 के लिए योजना परिव्यय

19. योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप, 1977–78 में योजना व्यय के लिये 501 करोड़ रुपये आवंटित करने की सहमति मिल गई है ताकि रेलें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष, 1978–79 तक, 2500/2600 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक माल की ढुलाई का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें। इस आवंटन में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रेलों के उत्पादन कारखानों की निर्यात आर्डरों से सम्बन्धित संचालन पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए 2.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नयी लाइनों के लिए और उखाड़ी हुई लाइनों को फिर से बिछाने के लिए 23.58 करोड़ रुपये रखे गये हैं और विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिये 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मैं जानता हूं कि कोंकण, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और देश के पूर्वोत्तर तथा अन्य भागों के कतिपय पिछड़े क्षेत्रों में अविलम्ब रेल विकास करने की आवश्यकता है। मैं इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाऊंगा।

कर्मचारी सम्बन्ध

20. वर्ष 1975–76 में कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध सामान्य रहे। चालू वर्ष में रेलों की कार्यकुशलता इस बात का प्रमाण है कि रेलों पर कार्यरत सभी स्तर के पुरुषों और महिलाओं की योग्यता ऊंचे दर्जे की है और उन्हें जो काम सौंपे गये हैं, उनके प्रति वे पूरी तरह समर्पित हैं। पिछले वर्षों में रेलों पर विकसित सामूहिक समझौता तन्त्र को फिर से सक्रिय बनाना होगा और इस काम में ट्रेड यूनियनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मैं निरन्तर प्रयास करता रहूंगा। मैं प्रबन्धक-श्रमिक सम्बन्धों में एक नयी गतिशीलता लाने का प्रयत्न करूंगा।

21. वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न कुछ असंगतियों से संबंधित मामले श्रमिकों और प्रबन्धकों की एक संयुक्त समिति को सौंपे गये थे और अन्त में समझौता हो गया था। उस समझौते को कार्यान्वित किया जा रहा है। रेलों पर कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक अराजपत्रित पदों के ग्रेड बढ़ाये गये हैं। काम के अनुसार कारखानों के कर्मचारियों और कारीगरों के पुनः वर्गीकरण के लिए एक अधिकरण की स्थापना की गयी है। मैं बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए श्रमिकों के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करूंगा।

22. मई, 1974 की रेलवे हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन रेल कर्मचारियों को मुअत्तिल अथवा बर्खास्त कर दिया गया था, उन सभी को बिना शर्त बहाल कर दिया जायेगा।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : यह जार्ज फर्नाडीज का पुनर्वास है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): मंत्रियों को पुनः नहीं लिया जायेगा। यह मेरी उस मान्यता के अनुरूप है जो मैं विगत में इस सदन में बराबर व्यक्त करता रहा हूं और उस वचन की पूर्ति है जो मैंने श्रमिक वर्ग को दिया है।

23. इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रबंध व्यवस्था में श्रमिकों की साझेदारी के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं। उत्पादन कारखानों में प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को लेकर बनायी गयी कारखाना परिषदों के अलावा, श्रमिक भागीदारी योजना उन वाणिज्यिक और सेवा संगठनों में भी लागू की गयी है जहां बड़े पैमाने पर आम जनता से सम्पर्क होता

है । प्रयोग के तौर पर बम्बई, मद्रास और दिल्ली में स्टेशन समितियां बनायी गयी हैं जिनमें श्रम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

24. चालू वर्ष में रेलों ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में भी उतनी ही सफलता प्राप्त होने की आशा है । इसके लिए सभी कोटि के रेल कर्मचारियों ने निरन्तर रूप से जो सहयोग प्रदान किया है और कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखायी है, सदन निस्संदेह उसकी सराहना करेगा । यह भी सन्तोष की बात है कि किराये और भाड़े की दरों में कोई वृद्धि किये बिना ही 1977–78 के लिए बचत का बजट पेश किया जा सका है । मुझे विश्वास है कि रेलों को सदन का पूर्ण समर्थन, जनता का सहयोग और सभी कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवा का लाभ मिलता रहेगा ।

सामान्य बजट, 1977–78

GENERAL BUDGET, 1977-78

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं इस महान सदन में वर्ष 1977–78 का बजट पेश करता हूं ।

जो बजट और अनुदानों की मांगें माननीय सदस्यों में इस समय वितरित की जा रही हैं वह पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर तैयार की गई थीं । मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हालांकि इसकी प्रतियाँ वितरित की जा रही हैं लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण, नीतियों और कार्यक्रमों की झलक नहीं देता है ।

2. जब से हमने कार्यभार संभाला तब से इतना समय नहीं था कि इन अनुमानों को नए सिरे से तैयार किया जाता और बजट प्रलेखों को फिर से छापा जाता । जो वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगें पहले से तैयार हो चुकी हैं, उनको पेश करने का प्रयोजन बिल्कुल सीमित है कि 31 मार्च, 1977 से पहले लेखानुदान प्राप्त करने की संविधानिक आवश्यकता को पूरा किया जाए । इससे सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के शुरू के चार महीनों के दौरान जरूरी खर्च करने के लिए रकम की स्वीकृति मिल सकेगी ।

3. मार्च, 1976 में पेश किए गए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कुल मिलाकर 328 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था । खर्च में कुछ वृद्धि होने के कारण जो कुछ हद तक अधिक राजस्व प्राप्त होने से पूरी हुई, अनुमान है कि इस वर्ष 425 करोड़ रुपये का घाटा होगा । मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि चालू वर्ष की बजट घटनाओं का, स्पष्टतः जिनकी कोई भी जिम्मेवारी मौजूदा सरकार नहीं ले सकती, ब्यौरा आपके सामने रखूं ।

4. जैसा बजट तैयार हुआ है उसके अनुसार 1976–77 के संशोधित अनुमानों में 13,759 करोड़ रुपयों की प्राप्तियों की तुलना में 1977–78 के दौरान अनुमान है कि अधिक प्राप्तियां अर्थात् कुल 14,910 करोड़ रुपयों की प्राप्तियां होंगी और चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 14,184 करोड़ रुपयों के खर्च की तुलना में आगामी वर्ष में 15,542 करोड़ रुपयों का खर्च होगा । यह आयोजना-भिन्न और आयोजना दोनों क्षेत्रों में खर्च में वृद्धि होने के फलस्वरूप है ।

5. 1977–78 के लिए आयोजना में केन्द्रीय क्षेत्र का परिव्यय 5,053 करोड़ रुपए का है और इसके लिए केन्द्रीय बजट में 4,096 करोड़ रुपए रखे गए हैं । यह पिछले वर्ष (1976–77) के 4,090 करोड़ रुपए के परिव्यय और बजट स्तर पर 3,347 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था के

अनुसार है । वर्ष 1977–78 के इन अनुमानों में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और पहाड़ी व जनजाति क्षेत्रों से सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमों, उत्तर पूर्वी परिषद्, ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा आंध्र के छह सूत्री कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 1,692 करोड़ रुपए रखे गए हैं । चालू वर्ष में इन कामों के लिए 1,412 करोड़ रुपए रखे गए थे । केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर बजट में 1977–78 के लिए कुल 9953 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय रखा गया है जब कि 1976–77 के बजट अनुमान में यह 7852 करोड़ रुपए का था ।

6. इस बजट में जो प्रस्ताव किए गए हैं उनका निवल प्रभाव यह होगा कि कुल मिलाकर 1432 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा । परन्तु विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में से निकासी के तौर पर 800 करोड़ रुपए के विशेष उधारों को बजट में इस अनुमान के आधार पर जमा में मान लिया गया है कि इस तरह के उधारों से कोई स्फीतिकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह उधार आयात में वृद्धि कर पूरा हो जाएगा । इसके अनुसार बजट प्रलेखों में निवल घाटा 632 करोड़ रुपए का दिखाया गया है ।

7. चूंकि थोक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक मार्च, 1976 से 12.5 प्रतिशत बढ़ गया है इसलिए इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के घाटे की वित्त व्यवस्था करना चिन्ता का विषय है । सरकार को यह दृढ़ विश्वास है कि ऊपर की ओर जाती हुई कीमतों को नीचे की ओर उतारने के लिए और कीमतों में युक्तियुक्त स्थिरता लाने के लिए सरकारी खर्च की ऐसी व्यवस्था को दूर रखा जाए जिससे स्फीतिकारी दबावों को बल मिलता हो । हम पांचवीं योजना की समीक्षा करने और बजट अनुमानों में संशोधन करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं जिससे यह हमारे दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करें । हमारा इरादा नियमित बजट के संबंध में इस सारी प्रक्रिया को निश्चित अवधि में पूरा करने का है क्योंकि यह बजट मई, 1977 में पेश किया जाएगा ।

8. इस बीच मैंने अपने मंत्रालय से कहा है कि यह सभी मंत्रालयों, विभागों और केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों से यह अनुरोध करे कि जब तक हम अपनी समीक्षा को पूरा न कर लें तब तक वे न तो कोई नई स्कीम शुरू करें और न ही कोई ऐसा नया काम हाथ में लें जिस पर भारी खर्च की गुंजाइश हो । जो स्कीमें इस समय जारी हैं उनको फिर से तैयार करने और कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा । सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों से कहा जाएगा कि वे सादगी और सभी तरह के तड़क भड़क के खर्च को कम करने के बारे में मौजूदा सरकार द्वारा जोर देने की नीति को ध्यान में रख कर खर्च में ज्यादा से ज्यादा किफायत करें ।

9. भारत की जनता यह चाहती है और जैसा कि चुनावों से स्पष्ट हो गया है कि हमारी आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं में इस तरह का मोड़ लाने की सख्त जरूरत है जिससे यह आर्थिक विकास गरीबी और बेरोजगारी को तेजी से दूर करने और आय और सम्पत्ति की असमानताओं को उत्तरोत्तर कम करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकें । जनता में हमारी निष्ठा बनी रहेगी, सदन इस बात से निश्चिन्त रहे । आगे का हमारा काम कठिन है लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम जनता के खुले दिल से समर्थन और सद्भाव से हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे ।

वित्त विधेयक, 1977

FINANCE BILL, 1977

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर की विद्यमान दरों की कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए चालू रखने के लिए और सहायक सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित उपबन्धों को चालू रखने का तथा उक्त वर्ष मे नमक पर शुल्क लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर की विद्यमान दरों को कुछ उपान्तरों सहित वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिये चालू रखने के लिये और सहायक सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित उपबंधों को चालू रखने का तथा उक्त वर्ष मे नमक पर शुल्क न लगाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

तमिलनाडु बजट, 1977–78

TAMIL NADU BUDGET, 1977-78

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं तमिलनाडु राज्य का वर्ष 1977–78 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

वर्ष 1976–77 के बजट अनुमानों मे 5.32 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा और 2.98 करोड़ रुपए कम इतिशेष दिखाया गया था । संशोधित अनुमानों मे अनुमान है कि 12.78 करोड़ रुपयों का घाटा होगा और इतिशेष 1.18 करोड़ रुपए कम रहेगा । राजस्व घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण सूखा सहायता कार्यों और बाढ़ सहायता कार्यों पर किया गया खर्च है । सूखा सहायता कार्यों पर 27.52 करोड़ रुपए आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय हुआ । बाढ़ सहायता कार्यों पर 4.1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । देवी विपत्तियों के कारण सहायता कार्यों पर कुल 31.62 करोड़ रुपए मे से 18.75 करोड़ रुपए का खर्च केन्द्र की अग्रिम आयोजना सहायता से पूरा किया गया ।

चालू वर्ष के लिए अनुमोदित आयोजना परिव्यय 201 करोड़ रुपए था । अब यह अनुमान है कि 1976–77 मे आयोजना व्यय 227 करोड़ रुपए होगा ।

वर्ष 1977–78 के लिए बजट मे जैसा कि इस समय पेश किया गया है, अनुमान है कि 635.91 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां होंगी और राजस्व खाते में 645.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिससे 9.9 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा । वर्ष 1977–78 में 62.69 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय का अनुमान है ।

वर्ष 1977-78 के लिए 260 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय अनुमोदित किया गया है। आयोजना मे मुख्य क्षेत्रों के लिए इस प्रकार व्यवस्था की गई है : विद्युत--95 करोड़ रुपए ; सिंचाई—25 करोड़ रुपए; कृषि और संबंद्ध क्षेत्र—30 करोड़ रुपए; उद्योग--14 करोड़ रुपए; परिवहन और संचार—24 करोड़ रुपए; विद्युत पूर्ति और मल निकासी—25 करोड़ रुपए; शिक्षा—13 करोड़ रुपए; आवास और नगर विकास-16 करोड़ रुपए; और अन्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं—18 करोड़ रुपए।

राजस्व, पूंजी और उधार खातों मे लेन-देनों का कुल मिला कर प्रभाव यह होगा कि 1977-78 के अन्त मे इतिशेष 13.92 करोड़ रुपए कम रहेगा। सरकार अनेक तरह के उपाय कर जैसे खर्च मे कमी करना, सरकार को मिलने वाले करों और अन्य शुल्कों की ज्यादा से ज्यादा वसूली करना और सरकारी क्षेत्र के निगमों मे वित्तीय परिणामों मे सुधार कर इस घाट की समूची रकम को पूरा करने की कोशिश करेगी। राजकोषीय अनुशासन का अच्छी तरह पालन होने और सरकार के कार्यों मे और अधिक कार्यकुशलता से हम और अधिक राजस्व की आशा कर सकते हैं बशर्ते कि मौसम सामान्यत: रूप से अच्छा बना रहे। खर्च मे किफायत करने के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और सरकार के सभी विभागों मे उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा। इसी तरह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणामों की बारीकी से जांच की जा रही है और वर्ष के दौरान एसी योजना बनाई जाएगी और पूरी की जाएगी जिससे इन उपक्रमों के पास पहले की अपेक्षा ज्यादा अधिशष रहे।

इस समय सदन के सम्मुख प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर पांच महीनों के लिए 'लेखानुदान' के लिए स्वीकृति देने का अनुरोध किया जा रहा है।

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगांबाद) : क्या सरकार का तमिलनाडु में चुनाव कराने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वित्त मंत्री उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे।

नागालैंड बजट, 1977-78

NAGALAND BUDGET, 1977-78

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं 1 अप्रैल, 1977 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये नागालैंड राज्य के सम्बन्ध मे एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

विवरण

सदन को मालूम है कि नागालैंड राज्य की विधान सभा के अधिकार और शक्तियों का प्रयोग इस समय संसद द्वारा किया जा रहा है। इसलिए, महोदय, मैं आपकी अनुमति से, पहली अप्रैल 1977 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नागालैंड सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने पेश करता हूं।

अनुमान है कि 1977-78 मे राज्य को 57.99 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और राजस्व खाते से 49.31 करोड़ रुपए का व्यय होगा जिसके फलस्वरूप 8.68 करोड़ रुपए

का राजस्व अधिशेष रहेगा । परन्तु पूंजी खाते में 5.22 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है । इस तरह कुल मिला कर 3.46 करोड़ रुपए का अधिशेष रहेगा । आयोजना परिव्यय के लिए 1976–77 के 17.70 करोड़ रुपए के मुकाबले 1977–78 के अनुमानों में 19.27 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इसमे 6.33 करोड़ रुपए कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए, 140 करोड़ रुपए जल और विद्युत विकास के लिए, 5.26 करोड़ रुपए परिवहन और संचार के लिए, 5.15 करोड़ रुपए सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए और 1.13 करोड़ रुपए अन्य सेवाओं जैसे उद्योग आदि के लिए रखे गए हैं ।

महोदय, इस समय हम, उन अनुमानों के आधार पर जो मैंने अभी सदन के सामने पेश किए हैं, पांच महीनों के लिए 'लेखानुदान' की स्वीकृति चाहते हैं ।

पांडिचेरी बजट, 1977–78

PONDICHERRY BUDGET, 1977-78

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं वर्ष 1977–78 के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

विवरण

सदन को मालूम है कि इस समय संघ राज्य क्षत्र पांडिचेरी की विधान सभा के अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा किया जा रहा है । इसलिए, महोदय, मैं आपकी अनुमति से, संघ राज्य क्षत्र पांडिचेरी का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं जिसमे संघ राज्य क्षेत्र के वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का व्यौरा दिया गया है ।

संघ राज्य क्षत्र के राजस्व खाते में यह अनुमान लगाया गया है कि 1977–78 में 13.90 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होंगी और 20.05 करोड़ रुपए का व्यय होगा जिससे 6.15 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जो केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से पूरा किया जाएगा । पूंजी खाते के अनुमानों को देखने से 4.38 करोड़ रुपए के घाटे का पता चलता है जो भारत सरकार से उधार ले कर पूरा किया जाएगा । 1977–78 के इन अनुमानों में संघ राज्य क्षत्र की आयोजना पर परिव्यय के लिए 8.33 करोड़ रुपए रख गए हैं जबकि इसके लिए 1976–77 मे 7.25 करोड़ रुपए रख गए थे । प्रस्तावित आयोजना.परिव्यय का क्षेत्रवार विवरण व्याख्यात्मक ज्ञापन मे दिखाया गया है जो माननीय सदस्यों में वितरित किया जा रहा है ।

महोदय, हम, इस समय, इन अनुमानों के आधार पर, पहली अप्रैल, 1977 से शुरू होने होने वाले वर्ष के पहले पांच महीनों के लिए लेखानुदान की स्वीकृति दिए जाने के लिए अनुरोध करते हैं ।

इसके बाद लोक सभा मंगलवार, 29 मार्च, 1977/8 चैत्र 1899 (शक) के ग्यारहा बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March, 29, 1977/Chaitra 8, 1899 (Saka).

म०त्र०भा०स० ु०कि०रो०न०दि०—एल०एस०III—140 एल० एस०—12-4 77·200